

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छत्तीस'

[ 14/3/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 3946 ]

परिशिष्ट अ.

कार्यालय उपनियंत्रक नापतौल (विधिक माप विज्ञान) इंदौर, म0प्र0

भोतीबंगला कमिश्नर परिसर, एम.जी.रोड, इंदौर पिन-452007  
Tel-0731-2544424, E-mail -dclmindore@gmail.com

दिनांक 01.04.2015 से 25.02.2016 तक की गई जाँच की जानकारी


//परिशिष्ट "अ"//

क्र	माह का नाम	माह में निर्धारित जांच का लक्ष्य	मॉह में जांच किये गये व्यापारिक संस्थान एवं संपादित शिविर		
			कहाँ -कहाँ	जांच का दिनांक	व्यापारियों की संख्या
1	अप्रैल 2015	250	मेघनगर	04.04.2015	41
			थांदला	07.04.2015	35
			पारा	16.04.2015	25
			कालीदेवी	24.04.2015	61
			रानापुर	30.04.2015	88
			कुल		250
2	मई 2015	250	झाबुआ	11.05.2015	25
			रानापुर	12.05.2015	41
			सारंगी	14.05.2015	89
			रायपुरिया	17.05.2015	52
			पिटोल	23.05.2015	45
			कुंदनपुर	24.05.2015	32
			कुल		284
3	जून 2015	250	कंजावानी	02.06.2015	46
			रानापुर	06.06.2015	120
			मेघनगर	20.06.2015	40
			झाबुआ	21.06.2015	49
			थांदला	24.06.2015	10
			रायपुरिया	24.06.2015	09
			पेटलावद	24.06.2015	30
			पिटोल	24.06.2015	36
			कुल		340
4	जुलाई 2015	250	करवड	08.07.2015	53
			मेघनगर	27.07.2015	62
			कल्याणपुरा	28.07.2015	79
			कालीदेवी	31.07.2015	81
			कुल		275

अनुभाग 3  
मध्य प्रदेश शासन  
साक्ष, नागरिक आपूर्ति एवं  
प्रभोक्ता संरक्षण विभाग

निरंतर. ....

	माह का नाम	माह में निर्धारित जांच का लक्ष्य	माह में जांच किये गये व्यापारिक संस्थान एवं संपादित शिविर		
			कहाँ -कहाँ	जांच का दिनांक	व्यापारियों की संख्या एवं
5	अगस्त 2015	250	पेटलावद	10.08.2015	73
			काकनवानी	16.08.2015	69
			थांदला	18.08.2015	89
			झाबुआ	30.08.2015	70
			कुल		301
6	सितम्बर 2015	250	उदयगढ	13.09.2015	62
			मदरानी	16.09.2015	38
			रंभापुर	21.09.2015	60
			मेघनगर	26.09.2015	81
			झाबुआ	29.09.2015	69
			कुल		310
7	अक्टूबर 2015	250	पारा	08.10.2015	61
			थांदला	20.10.2015	58
			कल्याणपुरा	28.10.2015	70
			सारगी	29.10.2015	61
			कुल		250
8	नवम्बर 2015	250	बामनिया	18.10.2015	99
			खवासा	20.10.2015	110
			काकनवानी	29.10.2015	101
			कुल		310
9	दिसम्बर 2015	250	पारा	03.12.2015	111
			थांदला	15.12.2015	165
			मेघनगर	24.12.2015	174
			कुल		450
10	जनवरी 2016	250	कल्याणपुरा	13.01.2016	91
			झकनावदा	16.01.2016	86
			पालेडी, उमरकोट	21.01.2016	71
			कालीदेवी	23.01.2016	102
			कुल		350
11	फरवरी 2016	250	झाबुआ	07.02.2016	81
			रानापुर	13.02.2016	56
			कल्याणपुरा	17.02.2016	69
			पेटलावद	23.02.2016	44
			कुल		250

  
 अनुभाग अधिकारी  
 मध्यप्रदेश शा.  
 ग्राम, नगरीक आपूर्त एवं  
 ब्याजिता संरक्षण विभाग


19/11  
 उप नियंत्रक  
 विधिक माप विज्ञान  
 (नाप तौल), इन्दौर

कार्यालय उपनियंत्रक नापतौल (विधिक माप विज्ञान) इंदौर, म0प्र0

मोतीबंगला कमिश्नर परिसर, एम.जी.रोड, इंदौर पिन-452007  
Tel-0731-2544424, E-mail -dclmindore@gmail.com

विगत तीन वर्षों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी  
// परिशिष्ट "ब" //

क्र	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	दिनांक 20.05.2014 को दूरभाष पर माननीय विधायक पेटलावद कु. निर्मला भूरिया के पी.ए. द्वारा दूरभाष पर शिकायत की गई।	मेसर्स रूपश्री स्वीटस झाबुआ में अमानक पैकेज बेचे जा रहे हैं एवं मिठाई डिब्बे सहित कम तौल कर दी जा रही है।	दिनांक 23.05.2014 को रूपश्री स्वीटस प्रो दीपक अनोखीलाल जैन, मेन रोड, झाबुआ पर एक व्यक्ति को ग्राहक बनकर मिठाई खरीदने के लिये भेजा गया एवं मिठाई खरीदने पर उसी समय पुनः तौल की गई, पुनः तौल में मिठाई सही मात्रा में पाई गई। किन्तु संस्थान में आलू की चिप्स के पैकेट पर नियमानुसार घोषणाएँ अंकित नहीं पाई गई। अतः उक्त पैकेजों को जप्ती मैमो क्रमांक 327/37 से जब्त कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18/36 सहपठित विधिक माप विज्ञान(पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 02/14-15 पंजीबद्ध किया गया। उपनियंत्रक नापतौल इंदौर कार्यालय द्वारा अभियुक्त पर रुपये 5000/- राजीनामा राशि आरोपित की गई जो कि अभियुक्त द्वारा चालान क्रमांक 29 दिनांक 12.08.2014 से जमा की गई।
2	श्री मथियास भूरिया गाँव दौतड तेह- रानापुर जिला झाबुआ के द्वारा दिनांक 10.05.2015 को लिखित में की गई शिकायत।	मेसर्स अशोका होटल प्रो. अशोक कुमार प्रेमचंद सकलेचा राजगढ नाका द्वारा कोल्डड्रिंक्स की बॉटल पर अंकित मूल्य से अधिक राशि लिये जाने के संबंध में।	दिनांक 11.05.2015 को शिकायतकर्ता द्वारा "माजा" कोल्डड्रिंक्स की बॉटल क्रय कि गई, बॉटल पर रुपये 35/- एमआरपी अंकित थी। किन्तु विक्रेता द्वारा 40 रुपये लिये जा रहे थे। अतः बॉटल को जप्ती मैमो क्रमांक 3932/47 से जप्त कर विधिक माप विज्ञान(पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 18(2) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 06/15-16 पंजीबद्ध किया गया। उपनियंत्रक नापतौल इंदौर कार्यालय द्वारा अभियुक्त पर रुपये 2000/- राजीनामा राशि आरोपित की गई जो कि अभियुक्त द्वारा चालान क्रमांक 24 दिनांक 07.08.2015 से जमा की गई।
3	श्री मथियास भूरिया गाँव दौतड तेह- रानापुर जिला झाबुआ के द्वारा दिनांक 11.05.2015 को लिखित में की गई शिकायत।	मेसर्स सीताश्री साफ्ट ड्रिंक्स एम.जी. रोड रानापुर के द्वारा साँफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल पर नियमानुसार घोषणाएँ अंकित न होने के संबंध में।	दिनांक 12.05.2015 को मेसर्स सीताश्री साफ्ट ड्रिंक्स एम.जी. रोड रानापुर के यहां विक्रय हेतु रखी गई साँफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल पर नियमानुसार घोषणाएँ अंकित न होने से उन्हे जप्ती मैमो क्र/ 3932/50 से जब्त कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18/36 सहपठित विधिक माप विज्ञान(पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6(1) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 09/15-16 पंजीबद्ध किया गया। उपनियंत्रक नापतौल इंदौर कार्यालय द्वारा अभियुक्त पर रुपये 5000/- राजीनामा राशि आरोपित की गई जो कि अभियुक्त द्वारा चालान क्रमांक 44 दिनांक 07.08.2015 से जमा की गई।

  
अनुभाग अधिकारी,  
साथ, नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
मंत्रालय

14  
उप नियंत्रक  
विधिक माप विज्ञान  
(नाप तौल), इन्दौर